रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 1970/श्रावण 21, 1892

No. 147] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 1970/SRAVANA 21, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 12th August 1970

G.S.R. 1176.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 199/66-Central Excises, dated the 16th December, 1966, namely:—

In the Table below the said notification, in column 2,—

(1) in serial No. 4—

(a) in sub-item (iii) of item (a), the words "Jute Batching Oil," shall be omitted;

(b) in item (b)—

(i) in the opening paragraph, the words "Jute Batching Oil", shall be omitted;

(ii) in sub-item II, for the word "Others" the words "Others except Jute Batching Oil" shall be substituted;

(2) in serial No. 10, for the words "Coke and Mineral Colza Oil", the words "Coke, Mineral Colza Oil and Mineral Turpentine Oil" shall be substituted.

[No 159/70-CE/F. No. 11/8/70-C.X. 3]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1176 —खनिज उत्पाद (अतिरक्त उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 199/66—केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1966 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के तीन की सारिणी में, स्तम्भ 2 में—

(1) क्रम सं० 4 में —

(क) मद (क) की उपमद (iii) में "जूट बैचिंग तेल" शब्द लुप्त कर दिए जायेंगे ,

(ख) मद (ख) में —

(i) आरंभिक पैरा में, "जूट बैचिंग तेल" शब्द लुप्त कर दिए जायेंगे ,

(ii) उपमद (ii) में "अन्य" शब्द के स्थान पर "जूट" बैचिंग तेल के सिवाय अन्य" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(2) क्रम सं० 10 में "कोक और खनिज कोल्जा तेल" शब्दों के स्थान पर "कोक, खनिज कोल्जा तेल और खनिज तारपीन तेल" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[सं० 159/70—सी० ई०/का० सं० 11/8/70—सी० एक्स० 3]

पी० आर० कृष्णन,
अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970